

FROM No.III

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

सहायक जज (SDC)

अज अदालत..... मुकाम.....

प्रधानाचार्य आणिकी बनाम मोहनलाल कोरत

सो उभाफ कोपत

किस्म मुकदमा..... 21. 319 67 नं..... 46 सन्..... 2018

111, 128 RLR 24-

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6.2.18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ..... 20/1/14 11/19/3</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 RLR</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 12.2.18 को पेश हो।</p>	
12.2.18	<p>प्रार्थी को हल उपलब्ध। विपार्थियों के नोटिस तामील बुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विभा जाण। विपार्थियों को कसुड तामील प्रतु उपलब्ध। प्रार्थी के अधिवक्ता से उपलब्ध वास्तु सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने कलाश्री श्री प्रार्थी के प्रथम प्यालेटरी प्लेनो के चारों ओर पन्ने नैथम त्थापित बुकाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नैथमवन्ती क्रॉडन स्वीडर विभा जाण नैथमवन्ती क्रॉडन विभा जावे।</p> <p>अतः प्रार्थी का नैथमवन्ती क्रॉडन स्वीडर विभा जाण तहसीलदार वास्तु के अधिनियम नियुक्त विभा जाण है व क्रॉडन विभा जाण है कि क्रॉडन स्वयं या अपने अधिनियम विनी भी नू क्रॉडन विभा जाण है प्रार्थी के प्यालेटरी प्लेनो श्री प्रार्थी नैथमवन्ती मोडे पूर कसुड जमा उताडर हरे; पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली है, पत्रावली तामील बुद्धा है, दर्ज नम्बर के डम है,</p>	

सहायक जज (SDC) वास्तु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 140

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

दिनांक:-

1. प्रधानाचार्य आदर्श विद्या मन्दिर  
उच्च मा. वि. बायतु तह. बायतु  
जिला बाडमेर

1. मोहनलाल पुत्र भूराराम वगैरा 9  
निवासी बायतु भोपजी तह. बायतु  
जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


राजस्व आवेदन संख्या 46/18

आदेश

मौजा बायतु भोपजी पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 992/341 रकबा 20.16 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2018 / 141-145  
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

  
तहसीलदार (SDO)  
मोहनलाल चौहान  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:-

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी प्रधानाचार्य आदर्श विद्या मन्दिर उच्च मा. वि. ।
4. विप्रार्थीगण मोहनलाल पुत्र भूराराम वगैरा 9।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

  
तहसीलदार (SDO)  
बायतु